



- आदेश -

(संज्ञित धारा 88, 136 LRA)

प्राथमिक पत्र के कथनों पर
 विचारोपरान्त सहलीमदार
 संगठित का आदेश दिया
 जाता है कि एक GNTW
 के कार्यालय सं. 38/31 में
 मुख्यालय सिद्ध के एक हिस्से
 में प्राथमिक पत्र कुतुबुल हिस्से
 की कार्यवाही करते हुए
 किन्हीं में संशोधित रूपके
 की प्रतिक्रिया पर कार्य
 ना कि किन्हीं समावेस में
 उक्त का कार्यालय (unity)
 हो जाए तदनुसार
 किन्हीं प्रकृति के आदेश
 प्रकृति किसे जा रहे हैं
 सिक्का निपटारा कार्य
 किया जावे

दिनांक: - 21/12/2023 12/6/23
 SDO

प्रशासन (गण) के पत्र अधिकायक
 शिविर प्रभारी (SDO)
 शिविर स्थल, रायपुर
रायपुर